

प्रेषक

शिक्षा निदेशक (बे) उ०प्र०  
शिक्षा अर्थ (१) बे० अनुभाग  
इलाहाबाद।

सेवा में,

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश
- 2- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश

प्रत्रांक अर्थ (१) ब०/ 2155-2355/2012-13 दिनांक 12/02/2013

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत

आस-पास (nighbourhood) के गैर सहायतिमान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3087/(1)/79-6-2012-29/09टी०सी०-11 दिनांक 03.12.2012 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12 (1) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार सभी बालकों को प्रदेश के सरकारी और परिषदीय विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना आवश्यक है। अतः कक्षा-1 से 8 तक की शिक्षा हेतु निःशुल्क प्रवेश के उपरान्त गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अधिनियम में यह भी व्यवस्था प्रदत्त है कि राज्य सरकार से सहायतित विद्यालयों में यथा वर्णित निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके साथ ही गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पहली कक्षा में आस-पास में दुर्बल वर्ग/अलाभित समूह के बच्चों को उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश दिया जायेगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का प्रावधान कक्षा-8 तक लागू रहेगा। जिन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है उनमें 25 प्रतिशत प्रवेश देने की यह व्यवस्था पूर्व प्राथमिक स्तर पर से ही लागू की जायेगी।

2- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 3087/(1)/79-6-2012-29/09टी०सी०-11 दिनांक 03.12.2012 द्वारा अलाभित समूह का बालक और दुर्बल वर्ग के बालक को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित कर दिया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

(i) उपर्युक्त अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अलाभित समूह के बालक की श्रेणी में निम्न को रखा गया है -

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त बच्चा।
- एच.आई.वी. अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा निराश्रित बेघर बच्चा।

(ii) "दुर्बल वर्ग के बालक" के अंतर्गत निम्न को रखा गया है-

- जिसके माता पिता या संरक्षक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारक है अथवा ग्राम्य विकास विभाग की सूची में सम्मिलित है।
- जिसके माता पिता या संरक्षक विकलांगता/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता है।
- जिसके माता-पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय रू० 1.00 लाख तक हो।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रू० 35000.00 तक की वार्षिक आय वाले माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जायेगी। इसके उपरान्त प्रवेश हेतु सीटें शेष रहने पर आगेही क्रम में एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले बच्चों को प्रवेश शेष सीटों के

अंतर्गत दिया जायेगा। स्पष्ट: प्रवेश का आधार वार्षिक आय रखा गया है। समस्त आवेदकों की सूची आरोही क्रम में तैयार की जायेगी और सीटों की संख्या के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

3- उक्त अधिनियम 2009 में विद्यालयों को परिभाषित किया गया है कि यह व्यवस्था समस्त गैर सहायित मान्यता प्राप्त विद्यालय में लागू होगी, अर्थात् शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त के अतिरिक्त सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालयों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी।

4- यह उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2012 (अधिनियम स0 30 ऑफ 2012) में संशोधन के उपरान्त निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है-

2. In the right of Children of free and Compulsory Education Act, 2009 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 1, after sub-section (3), the following sub-sections shall be inserted, namely:-

“(4) Subject to the provisions of articles 29 and 30 of the constitution, the provision of this Act shall apply to conferment of right on children to free and compulsory education.

(5) Nothing contained in this Act shall apply to madrasas, Vedic Pathshalas and educational institutions primarily imparting religious instruction.

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 29-30 की व्यवस्था लागू होगी और मदरसा, वैदिक पाठशाला एवं प्रारम्भिक तौर पर धार्मिक शिक्षा देने वाले शैक्षिक संस्थानों पर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी याचिका संख्या (सी0) नं0 95 ऑफ 2010 दिनांक 12 अप्रैल, 2012 द्वारा यह अवधारित किया गया है कि गैर सहायित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इस प्रकार स्पष्ट गैर सहायित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में भी यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

5- शैक्षिक सत्र 2013-14 से उपर्युक्त व्यवस्था लागू की जायेगी। सत्र प्रारम्भ होने के 02 माह पूर्व व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित कराया जायेगा। साथ ही खण्ड शिक्षा अधिकारी बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 स्तर पर भी प्रारूप उपलब्ध कराया जायेगा तथा आवेदन पत्र के प्रारूप का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ “अलाभित समूह” के श्रेणी के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र “दुर्बल वर्ग” श्रेणी के लिये वार्षिक आय प्रमाण पत्र तथा निःशक्त एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा, हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र, निराश्रित बेघर बच्चा श्रेणी हेतु तहसीलदार का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। आवेदन को परिशिष्ट-1 में वर्णित आस-पास (neighbourhood) में रहने के प्रमाण स्वरूप साक्ष्य लगाना आवश्यक होगा।

6- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में शासन द्वारा निम्नांकित प्रावधान किये गये हैं -

(क) 06-14 आयु वर्ग के समस्त "अलाभित समूह" तथा "दुर्बल वर्ग" के बालकों को पड़ोसी राजकीय/परिषदीय एवं सहायित विद्यालयों में दाखिले का अधिकार होगा।

(ख) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह पाए जाने पर कि "अलाभित समूह" तथा "दुर्बल वर्ग" के बालकों को पड़ोसी राजकीय/परिषदीय एवं सहायित विद्यालयों में स्थान/सीटों के अभाव के कारण दाखिला नहीं मिल पा रहा है तो राज्य सरकार द्वारा बनाई गयी रीति के अनुरूप ऐसे विद्यार्थियों को निजी असहायित विद्यालयों में 25 प्रतिशत स्थान/सीटों की सीमा तक कक्षा-1 में प्रवेश पाने का अधिकार प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के अधिकतम 10 कार्य दिवस में आदेश पारित करके निजी विद्यालयों में दाखिला देने का दायित्व होगा, जो संबंधित विद्यार्थी हेतु कक्षा-8 तक की शिक्षा तक मान्य रहेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यवाही हेतु 05 दिवस में स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव सहित पत्रावली जिलाधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 05 दिवस में प्रकरण पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा एवं माता-पिता/अभिभावक को तदपरान्त जिला बेसिक अधिकारी द्वारा सूचित भी किया जायेगा।

(ग) जिला बेसिक अधिकारी द्वारा लगातार यह सूचना एकत्र की जायेगी कि सरकारी/परिषदीय एवं सहायित विद्यालयों में न केवल क्षमता के अनुरूप दाखिला लिया गया है वरन यह सूचना भी एकत्र की जायेगी कि दाखिले के अनुसार वास्तव में बालक/बालिका लगातार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। झाप आउट होने वाले स्थान/सीटें यदि शीघ्रता से नहीं भरती हैं तो उन स्थान/सीटों पर अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बालक-बालिकाओं को दाखिला देने की व्यवस्था की जायेगी।

(घ) राज्य सरकार द्वारा बनाई गयी नीति के अनुरूप उपरोक्त पद्धति से निजी विद्यालयों में दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

7- उपर्युक्त विद्यालय फीस की प्रतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त होने वाली धनराशि के लिये प्रथम बैंक में खाता अनुरक्षित करेगा। शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर समस्त आवश्यक विवरण के साथ-साथ साक्ष्य सहित विद्यालय द्वारा उपगत मदवार व्यय का विवरण प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक उपलब्ध कराया जायेगा। परन्तु जहां ऐसे विद्यालय, निःशुल्क अथवा रियायती दर पर कोई भूमि/भवन/उपकरण अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेने के कारण विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पहले ही बचनबद्ध हो वहां ऐसे विद्यालय ऐसी बचनबद्धता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्थात् माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा तथा बेसिक शिक्षा के संदर्भ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यक सत्यापन के पश्चात् देय प्रतिपूर्ति धनराशि को विद्यालय द्वारा बैंक में खोले गये खाते में अन्तरित किया जायेगा तथा इस सूचना को वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा। यदि किसी भी स्तर पर विद्यालय द्वारा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या दावे के आधार पर प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करके उसे प्राप्त किया गया पाया जाता है तो उस विद्यालय की मान्यता वापस लेने के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही की जायेगी और दोषी को दोगुनी धनराशि सरकारी राजकोष में जमा करनी होगी। इस धनराशि की वसूली कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व की बकाया धनराशि के रूप में की जायेगी।

8- इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 द्वारा शुल्क के व्यय की पूर्ति हेतु प्रपत्र विकसित किया जायेगा। इसमें अपेक्षित सूचनाओं के साथ प्रविष्टियां एवं सत्यापन हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा तैयार कराये गये प्रपत्र का परीक्षण विभाग के वित्त नियंत्रक द्वारा किया जायेगा। विद्यालय प्रतिपूर्ति के दावों के परीक्षण हेतु राज्य स्तर पर वित्त नियंत्रक एवं जनपद स्तर पर सम्बन्धित विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी उत्तरदायी होंगे। यह

समस्त कार्यवाही शिक्षा निदेशक (बेसिक) के निर्देशन में सम्पन्न होगी। अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) मुख्यालय, इलाहाबाद समस्त प्रवेश एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक) के निर्देश में प्रवेश एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में सुचारु कार्यवाही सम्पन्न करायेगे। शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लखनऊ द्वारा वित्त नियंत्रक के परामर्श से शुल्क के प्रतिपूर्ति विषयक विस्तृत प्रस्ताव शासन को आवश्यक प्रपत्रों सहित 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

9- आप अवगत हैं कि इन प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 दि. 27 जुलाई 2011 को प्रख्यापित की जा चुकी है उपर्युक्त विषय पर उक्त नियमावली 2011 के अनुच्छेद-8 में यह स्पष्ट किया गया है कि बच्चों के प्रवेश की यह प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी रखी जायेगी। प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले बच्चे/अभिभावक के लिये इस आशय से आवेदन प्रपत्र का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर दिया गया है। इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर आवेदनकर्ता का संकलित विवरण नियमित रूप से अनुरक्षित किया जायेगा। जिसमें बालक/बालिकाओं का नाम, पता, लिंग जाति, श्रेणी, जन्मतिथि, माता-पिता/अभिभावक का नाम, वार्षिक आय इत्यादि का विवरण सन्निहित होगा। इस सूचना का सार्वजनिक भी किया जायेगा तथा सूचना पट पर प्रदर्शित किया जायेगा, यथा सम्भव विद्यालयों की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित /डिस्प्ले किया जायेगा। कुल आवेदकों में से जिनका प्रवेश प्रदत्त व्यवस्थानुसार सम्भवन नहीं हुआ हो उन्हें कारण सहित संस्था द्वारा सूचित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया का अनुसरण करना विद्यालयों के लिए बाध्यकारी होगा। इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु चयनित छात्रों का विवरण संकलित रूप में रखा जायेगा। इस आशय का प्रारूप परिशिष्ट -2 पर संलग्न है।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए

संलग्नक - उक्तवत्

भवदीय

डा० (अवध नरेश शर्मा)  
अपर शिक्षा निदेशक बेसिक  
शिक्षा निदेशालय उ०प्र०, इलाहाबाद

पृष्ठांकन संख्या अर्थ (1) बे०/2155/2012-13 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० निशातगंज, लखनऊ को उनके अविहित पत्राक शि०नि० (बे०)/नियोजन/2012-13 दिनांक 28.12.2012 के संदर्भ में संज्ञानार्थ प्रेषित।